सत्यमेव जयते

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA,
सीप्ज़- सेज़ प्राधिकरण/ SEEPZ SEZ AUTHORITY,
वणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400 096. ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400096
Tel: 022-28294774/28294701, Fax: 022-28291754
**E-mail: dcseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in**
******

सं.सीप्ज़-सेज़:ईएमएस:ईसीए:2008-09:वॉल्यू-II 22846 दिनांक: 27 नवंबर, 2019

परिपत्र संख्या 07 दिनांक:- 27/11/2019

विषयः भवनों/भूखंडों के आसपास साझा क्षेत्र में सामग्रियों तथा मलबों का ढेर लगाए जाने के संबंध में ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 30.7.08 का परिपत्र संख्या सीप्ज़ सेज़/ईएमएस/क्लेन्लीनिसः07-08/6133 देखा जाए ।

यह देखने में आया है कि इस संबंध में बारबार अनुस्मारक (रिमांइडर) जारी किए जाने के बावजूद अभी भी क्षेत्र में स्थित कुछ यूनिटों द्वारा साझा क्षेत्र में सामग्रियों का ढेर लगाया जा रहा है जिसके कारण क्षेत्र संकुल के सामान्य रखरखाव में असुविधा एवं अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है ।

यूनिटों को इसके द्वारा एकबार पुनः निदेश दिया जाता है कि वे इस सूचना के जारी किए जाने की तारीख से 10 दिनों के अंदर साझा क्षेत्र में रखी गई सामग्रियां हटवा लें, ऐसा न किए जाने की स्थिति में उक्त समय-सीमा के पश्चात साझा क्षेत्र अथवा अग्रदीर्घा (फॉइअर) में रखी हुई ऐसी सामग्रियां क्षेत्र प्रशासन द्वारा संबंधित यूनिट की लागत एवं जोखिम पर हटवा दी जाएंगी । यूनिटों के ध्यान में यह बात भी लाई जाती है कि यूनिटों द्वारा एसडीएफ/जी एंड जे बिल्डिंगों के आसपास साझा क्षेत्र का अतिक्रमण तथा मलबों का रखा जाना सरकारी स्थान बेदखली अधिनियम तथा संगत नियमों के अधीन कार्रवाई की जा सकती है ।

अतएव, ऐसे यूनिटों को जो सामग्रियों के पैक करने/अनपैक करने/स्टोर करने तथा लंच के लिए एसडीएफ के साझा क्षेत्र/अग्रदीर्घा का उपयोग कर रहे हों, इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

यह अध्यक्ष, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(केशव जाधव)
सहायक विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

प्रतिः- सीप्ज़-सेज़ में स्थित सभी यूनिट